न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा केम्प कोर्ट–बुड़ीवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. :– 06/2018

वादीगण :–
1. विरमाराम पुत्र दोलाराम जाति कलबी चौधरी
2. बुधाराम उर्फ मदन पुत्र दोलाराम जाति कलबी चौधरी
3. बाबूराम पुत्र दोलाराम जाति कलबी चौधरी
4. मु. चम्पा बेवा दोलाराम जाति कलबी चौधरी
5. हनुमान पुत्र नेनाराम जाति कलबी चौधरी
6. पेपोदेवी बेवा नेनाराम जाति कलबी चौधरी
7. खेताराम पुत्र चिमनाराम जाति कलबी चौधरी
8. हरजीराम पुत्र चिमनाराम जाति कलबी चौधरी
9. खुशालाराम पुत्र रणछोड़ाराम जाति कलबी चौधरी
10. कलाराम पुत्र रणछोड़ाराम जाति कलबी चौधरी सभी निवासीयान सुरसिंह का ढ़ाणा, जागसा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

ब ना म

प्रतिवादीगण :–
1. मगाराम पुत्र देदाराम जाति कलबी चौधरी
2. उकाराम पुत्र देदाराम जाति कलबी चौधरी निवासीयान सुरसिंह का ढ़ाणा जागसा तहसील पचपदरा

प्रफोरमा पार्टी :–
3. सुकीदेवी पत्नी जोहिताराम जाति कलबी चौधरी
4. जोहिताराम गोदपुत्र विरदाराम जाति कलबी चौधरी निवासीयान सुरसिंह का ढ़ाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
5. मैनेजर SBBJ कम SBI शाखा टापरा
6. तहसीलदार पचपदरा

दावा अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188, आर.टी.ए.

निर्णय

दिनांक :– 13.06.2018

उपस्थिति :–
1. वादीगण स्वंय एवं अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण स्वंय उपस्थित ।

वादीगण की ओर से उक्त वाद पत्र इस आश्य का पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल पुर्व राजस्व गांव जागसा वर्तमान राजस्व गाँव सूरसिह का ढाणा खेत खसरा सं. 973 रकबा 49 बीघा 08 विस्वा स्थित रहा है, वक्त सेटलमेंट उक्त खसरे की खतौनी व अन्य खसरो की खतौनी सम्मिलित रही है, किन्तु तदोपरान्त उक्त खसरे में से ¼ हिस्सा देदाराम द्वारा बेचान करने की वजह से खतौनी जुदा हो जाने से अलग हो गयी, उक्त वाद खसरा सं. 973 से सम्बधित है, उक्त भूमि तत्समय् में नाथाराम पुत्र रामाजी के एकल खातेदारी कब्जा कास्त की रही है, नाथाजी फोत होने से नाथाजी के वारिसान रणछोड़, रतना, चिमना, देदा के नाम जरीये म्युटेशन सं. 26 रेकर्ड़ में अमल दरामद की गई, इस प्रकार नाथाजी के चारो पुत्रान का उस भूमि में ¼ - ¼ - ¼ - ¼ हिस्सा हुआ, वर्तमान वादपत्र में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध चाहा गया है, दिनांक 12.12.1972 को नाथाजी के पुत्र देदाराम जो प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पिता थे, ने वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 973 रकबा 49 बीघा 08 विस्वा में से अपना सम्पुर्ण 1/4 हिस्सा जरीये पंजीकृत विकय विलेख प्रतिवादी सं. 3 के हकपुर्वाधिकारी व प्रतिवादी सं. 4 को सप्रतिफल बेचान कर दिया, जिसका राजस्व रेकर्ड़ में अंकन जरीये म्युटेशन सं. 532 अमल दरामद किया गया, इस प्रकार भूमि खसरा सं. 973 में देदाराम का कोई हक हिस्सा या अधिकार शेष नही रहने से राजस्व रेकर्ड़ से देदाराम का नाम हटाया गया, उक्त तथ्य जमांबन्दी खतौनी सम्वत् 2034 से ही सिद्ध है, राजस्व रेकर्ड़ में उक्त भूमि में जों हिस्सा देदाराम का था, वो हिस्सा सप्रतिफल बेचान कर दिया गया, किन्तु राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी ने बिना किसी वजह के ही उक्त भूमि में वादीगण के हकपुर्वाधिकारी के साथ प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता का नाम बिना किसी आदेश व बिना किसी आधार के ही जमाबंदी में जोड़ दिया जो अवैध व अशुद्ध था, वादीगण के

...2..

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

हकपुर्वाधिकारी एवं वादीगण काश्त पेशा ग्रामीण तबके के व्यक्ति है, इस कारण वादीगण एवं उनके हकपुर्वाधिकारीयो को ऐसे अशुद्ध तथ्यो की जानकारी नही हुई है, देदाराम के नाम की प्रविष्टिया प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभाव की रही व है। तदोपरान्त देदाराम का देहान्त हो गया, चुँकि रेकर्ड़ में देदाराम के नाम की अशुद्ध प्रविष्टिया दर्ज थी, इस कारण उक्त अशुद्ध एव अवैध प्रविष्टियो का नाजायज फायदा प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने उठाया और अपने नाम फोतगी म्युटेश के जरीये रेकर्ड़ में अमल दरामद करवा दिया और अब रेकर्ड़ मे दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियो की वजह से वादीगण के कब्जा कास्त में अवैध व अनुचित तरीके से दखल की मंशा रखते है, जिसका कोई अधिकार प्रतिवादी सं. 01 व 02 को नही है, प्रतिवादी सं. 01 व 02 एवं उनके हकपुर्वाधिकारी पिता देदाराम का उक्त भूमि में 12.12.1972 के बाद कोई कब्जा कास्त, हक, हित, अधिकार या दखल न तो कभी रहा और न है। वादीगण ने गलत प्रविष्टिया शुद्ध करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड़ शुद्ध नही करवाया। जिस पर वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया, बाद सम्मन तामिल प्रतिवादी सं. 01 व 02 की ओर से वकील ने अन्डरटेकिंग दी, और वकालात नामा पेश किया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट जागसा में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई, पक्षकरान् में समझाईश अधुरी रही, जिस पर पक्षकरान् वादीगण एवं प्रतिवादीगण पुनः ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा में केम्प कोर्ट में दिनांक 13.06.2018 को उपस्थित आये। केम्प कोर्ट बुड़ीवाड़ा में दोनो पक्षो ने लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा कर माफिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया और प्रतिवादी सं. 01 व 02 का नाम रेकर्ड़ से हटाना तय किया।

साथ ही पक्षकारान ने यह भी तय किया कि वादी सं. 01, 02 03, 04 व वागाराम जो इसमें पक्षकार नही है, कि खातेदारी की भूमि खसरा सं. 612 में उनके नाम हिस्से की भूमि में से 01 बीघा 15 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 01 व 02 मगाराम व उकाराम के नाम आगामी तारीख 31.03.2019 तक परिवार में हुए पुर्व सेटलमेंट की पालना में दर्ज करवाने हेतु पाबन्द है, इस हेतु पक्षकार ने सहमति दी।

और मौखिक साक्ष्य हेतु पी.डब्ल्यु 01 विरमाराम, पी.डब्ल्यु 02 उकाराम, पी.डब्ल्यु 03 हरजीराम, के बयान कलमबद्ध किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य, राजीनामा पर मनन किया। बाद गौर हम इस नतीजे पर पहुचे है, कि पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना व मौजिज लोगो की समझाईस से उक्त प्रकरण में राजीनामा हो गया है, तथा अब पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद शेष नही रहा है। इस प्रकार वादीगण के वाद पत्र को उपरोक्त समग्र विवेचन एवं माफिक राजीनामा अनुसार स्वीकार करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जाती हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सुरसिह का ढाणा पटवार हल्का जागसा में अवस्थित खसरा सं. 973 रकबा 49.08 बीघा में वादी सं. 1 ता 04 का 1/8 हिस्सा बराबर 06.04 बीघा, वादी सं. 05 व 06 का 1/12 + 1/8 हिस्सा बराबर 10.05 बीघा, वादी सं. 07 ता 08 का 1/12, 1/12 हिस्सा बराबर 08.05 बीघा, वादी सं. 09 का 1/8 हिस्सा बराबर 06.03 बीघा, वादी सं. 10 का 1/8 हिस्सा बराबर 06.04 बीघा, एवं प्रतिवादी सं. 03 व 04 का 1/4 हिस्सा बराबर 12.07 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा रेकर्ड़ में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 मगाराम व 2 उकाराम का नाम रेकर्ड़ से हटाया जावे। इसी अनुसार रेकर्ड़ में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है, पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज मजमें आम केम्प कोर्ट बुड़ीवाड़ा में तारीख 13.06.2018 को सुनाया गया।

(भागीरथ राम R.A.S.)
सहायक (कलेक्टर एस.डी.ओ.),